फार्म नं0 III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधिश सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

अनवान : इन्द्रजीतसिह वगैरा बनाम बन्ताराम वगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र 75 एल आर एक्ट प्र0 सं0 196 /2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुई
02/03/2020	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । दोनो पक्षो की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट नं0 2 सरपंच ग्राम पंचायत भोजेवाला के आदेश दिनांक 27–09–1996 की रूह से इन्तकाल नं0 46 स्वीकृत किया है । अपीलान्ट की दादी / पिता / भुआ / माता के नाम 1 बी जे डब्ल्यू में कुल तादादी 46.16बीघा अर्थात 936 हिस्सा में से 501 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम तथाकथित बैयनांमा के आधार पर दिनांक 27–09–1996 लगभग 36 वर्षो के पश्चात दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया । रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने मातहत अदालत से मिली भगत कर जैर अपील आदेश पारित करवाया है। जो अपीलान्टस के हितो पर निष्प्रभावी है । अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस की दादी / भूआ / पिता / माता धुडीदेवी पत्नी हरलालसिह , सुरजनसिह रूपसिह पिसरान हरलालसिह , केशर पुत्री हरलालसिह को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र. धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर मियाद की जानकारी रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा पेश किये गये दावे का नोटिस प्राप्त से हुआ तब हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो ज्ञान हुआ को कन्डोन कर अन्दर मियाद शुमार किया जावे तथा जैरवाद रकबा अपीलान्टस के पिता / दादा से होने के कारण हितबन्द है मौके पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त है रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम जैरवाद रकबा राजस्व रिकार्ड होने के कारण जैरवाद अपील के निर्णय तक स्थगन आदेश रखा जावे । रेस्पोडेन्ट नं0 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपील के साथ संलग्न मियाद प्रार्थना–पत्र, धारा 96 सी पी सी प्रार्थना–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र का जबाब मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए आपति प्रस्तुत की । रेस्पोडेन्ट नं0 1 के वकील ने जबाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के दादा / पड़दादा हरलाल सिह ने उक्त जैरवाद रकबा 936 हिस्सा में से 501 हिस्सा का बेचान पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम जरिये बैयनांमा तस्दीक करवा दिया गया । जिसका इन्तकाल राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुका था जिसकी जानकारी शुरू से ही अपीलान्टस को थी इसके बावजूद 23 वर्षो के पश्चात अपील प्रस्तुत की जबकि जानकारी का आधार नोटिस प्राप्तिके पश्चात जमाबन्दी से होना बताया जबकि अपीलान्ट सं0 1 ता 9 के पिता रूप सिह एवं सुल्तानसिह के वारिसान जैरवाद रकबा में 435 हिस्सा में केसर देवी के हक हिस्सा की दस्तबरदारी दिनांक 14–12–2001 करवाई इसके पश्चात इन्तकाल सं0 83 दिनांक 20–02–2002 दस्तबरदारी / विरास्तन धुड़ी देवी व सुल्तानसिह का करवाया गया अपीलान्टस ने जैरवाद रकबा में अपने हक / हिस्सा पर रहन इन्तकाल सं0 339 दिनांक 20–02–2016 एवं इन्तकाल सं0 358 दिनांक 08–02–2017 किया गया । अपीलान्ट मियाद पाने के कतई हकदार नही है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 के वकील ने हितबन्द पक्षकार पर आपति उठाते हुए बताया कि अपीलान्टस के दादा / पड़दादा हरलाल सिह ने उक्त जैरवाद रकबा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में बैयनांमा तस्दीक करवाया और कब्जा काश्त दिया गया जब तक अपीलान्ट बैयनांमा सिविल न्यायालय से खारिज नही करवा लेते तब तक किसी प्रकार के हक सर्जित नही होगें। तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता इसलिए अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त की	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जावे । कानूनी नजीर 2008(15)RBJ 674, 2009(16) RBJ 01, 2004(11) RBJ 327, 2004(11) RBJ 535, 2018(25) RBJ 198 पेश किया ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व दोनो पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया । अपीलान्टस ने उक्त अपील 23 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत करने का कारण रेस्पोडेन्ट नं0 1 के प्रस्तुत खाता विभाजन वाद–पत्र के नोटिस प्राप्त के बाद पटवारी से जमाबन्दी की नकल से ज्ञान हुआ जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर खण्डन करने एवं प्रस्तुत रिकार्ड अपीलान्टस के तथ्यो के विपरीत है जिसमें अपीलान्टस के पिता द्वारा अपना हिस्सा रहन , केसरदेवी के हक हिस्सा की दस्तबरदारी , अपीलान्ट के पिता के देहान्त के पश्चात विरास्तन एवं स्वयं अपीलान्ट द्वारा अपने हक/ हिस्सा को रहन रखने तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 का जैरवाद रकबा के कब्जा सम्बन्धी दस्तावेज व उक्त जेरवाद रकबा जरिये बैयनामा से रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की पूर्ण जानकारी अपीलान्टस को थी । रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयो में प्रतिवादित किये गये सिद्धान्तो को भी मध्य नजर रखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुचते है कि अपीलान्टस ने देरी को कण्डोन करने का जो कारण उल्लेखित किये है वे रिकार्ड के मुताबिक विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक नही है जिस कारण से उक्त सिद्धान्तो से बाध्य होते हुए हमारे समक्ष अपीलान्टस द्वारा अपील दायर करने में की गयी लगभग 23 वर्षो की देरी को कण्डोन करने के कोई न्याय संगत आधार नही है । अतः हम योग्य रेस्पोडेन्ट नं0 1 के इस तर्क से सहमत है कि अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार परं अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है । अपील में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है नंबर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.03.17 12:52:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: